न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–107/2023 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय–19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

––प्रार्थी

बनाम

1. रायसाहब पुत्र श्री धर्म सिंह जाति मेघवाल
पता–वार्ड नं. 05, पोस्ट गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
पता–ग्राम पंचायत पट्टा सं. 03, 5 जीजीएम, गोगामेड़ी तहसील नोहर।

––मूल ऋणी, बंधकग्रहिता

2. बलबीर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप
पता– वार्ड नं. 06, 5 जीजीएम, गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––(प्रभिभू)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश **दिनांकः–07.02.2024**

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज कुमार शाखा हनुमानगढ़ की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 19.03.2019 को 'लॉन एग्रीमेन्ट' के तहत 6,00,000/–रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्योरिटी के रूप में ग्राम पंचायत गोगामेड़ी पंचायत समिति नोहर द्वारा एक आवासीय भूमि का पट्टा सं. 03 पैमाईशी 2500 वर्गफुट अर्थात 277.77 वर्गगज वीपीओ गोगामेड़ी, 5 जीजीएम. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि रायसाहब पुत्र श्री धर्म सिंह जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 05, पोस्ट गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के नाम से दिनांक 10.01.2013 को जारीशुदा है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 11.05.2023 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर ऋणी के खाता को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि [illegible]/–रूपये (अखरे चार लाख छियासठ हजार छः सौ सौलह रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्ति व अन्य खर्चे दिनांक 15.05.2023 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 17.05.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 20.05.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना का समाचार पत्र 'इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 07.06.2023 को प्रकाशन करवाया गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:02 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति आवासीय भूमि का पट्टा सं. 03 पैमाईशी 2500 वर्गफुट अर्थात 277.77 वर्गगज वीपीओ गोगामेड़ी, 5 जीजीएम. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि रायसाहब पुत्र श्री धर्म सिंह जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 05, पोस्ट गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के नाम से दिनांक 10.01.2013 को जारीशुदा है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:02 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy Not Official